BHARTIYA BHASHA, SIKSHA, SAHITYA EVAM SHODH

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

WWW.BHARTIYASHODH.COM
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

"भारतीय बीमा क्षेत्र में आईआरडीएआई का योगदान: नियामकता, विकास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका"

डॉ. योगेश आशर

सहा. प्राध्यापक

संत. अलोयसिउस महविद्यालय (स्वसाशी) जबलपुर (म.प्र.)

डॉ.हरबक्श मूलचंदानी

सहा. प्राध्यापक

संत. अलोयसिउस महविद्यालय (स्वसाशी) जबलपुर (म.प्र.)

Abstract:

बीमा क्षेत्र एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा उद्योग के विकास और संचालन की जिम्मेदारी वाला नियामक निकाय है। इस शोध पत्र में आईआरडीएआई की भूमिका का विश्लेषण इसके कार्य और जिम्मेदारियों, नियामक ढांचे, पहल, और इसके प्रभाव को समग्र वृद्धि और बीमा बाजार के विकास पर किया गया है, । इस शोध के नतीजे में आईआरडीएआई की महत्वपूर्णता को प्रमुखता देते हुए, बीमा उद्योग को आकार देने और उपभोक्ता संरक्षण, नवाचार, और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने तथा,भारत में बीमा क्षेत्र के विकास में आईआरडीएआई की भूमिका का विश्लेषण करने का उद्देश्य रखता है।

Keywords: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), बीमा क्षेत्र, विकास, नियमन, भारत।

परिचय(Introduction):

बीमा क्षेत्र एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और स्थिरता में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में, बीमा क्षेत्र के सुचालन को सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना की गई। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा उद्योग के विकास और संचालन हेतु शीर्ष नियामक निकाय है। आईआरडीएआई की स्थापना भारतीय बीमा क्षेत्र के विकास के ऐतिहासिक मील के रूप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने बीमा कंपनियों के संचालन और पॉलिसीधारकों के हितों की संरचित और नियामित तंत्र को स्थापित किया। आईआरडीएआई का प्राथमिक उद्देश्य भारत में एक मजबूत और समावेशी बीमा बाजार के विकास के लिए प्रोत्साहन देना था। जो बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और पॉलिसीधारकों के अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत इसकी शक्तियां और

जिम्मेदारियां परिभाषित हैं, आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के नियमन, विनिर्धारण और दिशानिर्देशों को सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1. **भारत में बीमा उद्योग के विकास(Growth of Insurance Industry in India):**

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के ऐतिहासिक संदर्भ से भारत में बीमा क्षेत्र के विकास और उसकी संचालन की जरूरत को समझा जा सकता है।

भारतीय बीमा उद्योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है जिसके अंतर्गत 19वीं सदी के शुरुआती दशक में पहली बीमा कंपनी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई तदोपरांत देशभर में अनेक घरेलू और विदेशी बीमा कंपनियां स्थापित हुईं, ज्यादातर, जो देश में बीमा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए थीं। हालांकि, भारत में बीमा क्षेत्र का सामान्य नियमन, अपर्याप्त उपभोक्ता संरक्षण, और बीमा कंपनियों के वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंताओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आईआरडीएआई की स्थापना से पहले, बीमा उद्योग को बीमा अधिनियम 1938 के तहत बीमा नियंत्रक द्वारा नियामित किया गया था।

आईआरडीएआई के ऐतिहासिक संदर्भ में भारत सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र की प्रतिबद्ध दृष्टिकोण का उल्लेख होता है, जिसमें बीमा क्षेत्र के सामरिक चुनौतियों का सामना करने और एक मजबूत नियामकीय ढांचे की स्थापना करने का प्रगतिशील दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसने भारत में बीमा उद्योग के विकास की नींव रखी है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ रहे बीमा बाजारों में से एक बन गया है।

2. **आईआरडीएआई की स्थापना- बीमा क्षेत्र के नियामकता की आवश्यकता(Establishment of IRDAI- Need for regulation of insurance sector):**

बीमा क्षेत्र में नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता कई कारकों के कारण प्रकट हुई, जिनमें अपर्याप्त उपभोक्ता संरक्षण, एकसमान मानकों की कमी और समान अवसरों की अनुपस्थिति शामिल थी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, वर्ष 1993 में मल्होत्रा समिति को भारतीय बीमा उद्योग के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया। बीमा क्षेत्र के नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की स्थापना भारत में बीमा क्षेत्र के नियामकन और विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

आईआरडीएआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में बीमा क्षेत्र के विनियमित, प्रोत्साहित और अनुशासित विकास था। इसकी स्थापना ने बीमा उद्योग के नियामकीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आईआरडीएआई को बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने, उनके कार्यप्रणालियों को नियमित करने, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करवाने की शक्ति प्रदान की गई। आईआरडीएआई ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उपभोक्ता संरक्षा, पारदर्शिता को बढ़ावा, बाजार विकास को प्रोत्साहित

करने के लिए विभिन्न नियामक सुधारों, दिशानिर्देशों, और पहलों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण कार्य किये है। आईआरडीएआई की स्थापना ने भारत में बीमा उद्योग के विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. आईआरडीएआई के उद्देश्य(Objectives of IRDAI):

आईआरडीएआई की स्थापना का उद्देश्य कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति थी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा।
ii. बीमा उद्योग के विकास और विकास को प्रोत्साहित करना।
iii. निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बाजार आचरण का सुनिश्चय।
iv. बीमा कंपनियों के कार्य का नियामकन और पर्यवेक्षण।
v. बीमा क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

4. आईआरडीएआई के नियामकीय ढांचे का विकास(Development of regulatory framework of IRDAI):

आईआरडीएआई ने प्रारंभिक वर्षों में, बीमा कंपनियों की लाइसेंसिंग, शोधन सम्भंधी आवश्यकताएं, निवेश नियम, और उत्पाद डिज़ाइन जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले दिशा-निर्देश और नियमों के जारी करने पर ध्यान केन्द्रित किया तथा ,पॉलिसीहोल्डरों के संरक्षण और बाजार आचरण नियमों पर जोर दिया। बीमा उद्योग के लिए एक समग्र नियामकीय ढांचा तैयार करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया। आईआरडीएआई द्वारा स्थापित नियामकीय ढांचा ने बीमा कंपनियों, पॉलिसीधारकों और अन्य हित्धाराको के हितों को संतुलित करने का उद्देश्य रखा। नियामकीय ढांचा को संचालित और मजबूत बनाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नवाचारों, और डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित कर एक मजबूत और स्थिर बाजार बनाए रखने का प्रयास किया है।

9. स्वायत्त निकाय के रूप में आईआरडीएआई की भूमिका(Role of IRDAI as an Autonomous Body)

आईआरडीएआई स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वायत्तता के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्वायत्तता बनाए रखता है। यह स्वायत्तता आईआरडीएआई को बीमा उद्योग और बीमा धारकों के हितों की दृष्टि से निर्णय लेने और कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करती है। स्वतंत्र निकाय के रूप में आईआरडीएआई द्वारा निम्न कार्य करता है।

I. **अंतर्राष्ट्रीय नियामक संगठनों के साथ सहयोग(Collaboration with International Regulatory Bodies)**आईआरडीएआई अंतर्राष्ट्रीय नियामक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है और मंच और चर्चाओं में हिस्सा लेता है ताकि वह वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के

साथ संरेखित हो सके। ऐसे सहयोग से ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण करने और विपणन विधियों, पूंजीकरण अनुमान, और नियामकीय पुष्टि जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों को अपनाने की सुविधा होती है।

II. **संशोधन और भविष्य का दृष्टिकोण (Amendments and Future Outlook)**आईआरडीएआई बीमा उद्योग की बदलती गतिशीलता के अनुसार विकास और अनुकूलन जारी रखता है। उभरती चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नियमों और दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। ताकि उभरती हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके और क्षेत्र के विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित किया जा सके। आईआरडीएआई के भविष्य के दृष्टिकोण में इसके नियामकीय ढांचे को और मजबूती से संयमित करना, प्रौद्योगिकी-द्वारा प्रेरित नवाचारों को अपनाना, उपभोक्ता संरक्षण उपायों को सुधारना, और एक प्रतिस्पर्धी और समावेशी बीमा बाजार को प्रोत्साहित करना शामिल है। आईआरडीएआई की स्थापना भारतीय बीमा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। अपनी स्थापना से ही, आईआरडीएआई ने बीमा उद्योग को विनियमित और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

III. **आईआरडीएआई के कार्य और उत्तरदायित्व (Functions and Responsibilities of IRDAI)**

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को भारत में बीमा क्षेत्र के विकास को विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों का अधिकार है। इन कार्यों और उत्तरदायित्वों को "बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999" में रेखांकित किया गया है। यह खंड आईआरडीएआई के प्रमुख कार्यों और उत्तरदायित्वों की विस्तारपूर्वक विवेचन करता है।

IV. **बीमा कंपनियों का लाइसेंस और विनियमन(Licensing and Regulation of Insurance Companies)**आईआरडीएआई का प्राथमिक कार्य भारत में कार्यरत बीमा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान है। आईआरडीएआई यह सुनिश्चित करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करता है और अनुप्रयोगों का मूल्यांकन करता है, ताकी केवल वित्तीय रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित संस्थाएं ही बीमा बाजार में प्रवेश करें। यह लाइसेंस शर्तों के साथ बीमा कंपनियों के अनुपालन की निगरानी भी करता है और अनुपालन न करने की स्थिति में उचित कार्रवाई करता है। आईआरडीएआई बीमा कंपनियोंकी पूंजी आवश्यकताओं, सॉल्वेंसी मार्जिन, निवेश मानदंडों और अन्य वित्तीय और परिचालन पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र के में पारदर्शिता, स्थिरता और अखंडता बनाए रखने के लिए बीमा कंपनियों का नियमित निरीक्षण, ऑडिट और समीक्षा करता है।

V. **बीमा उत्पादों की स्वीकृति (Approval of Insurance Products)**

बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए गए बीमा उत्पादों को मंजूरी देने में आईआरडीएआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बीमा उत्पादों के नियमों और शर्तों, लाभों, मूल्य निर्धारण और उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित हैं और पॉलिसीधारकों के सर्वोत्तम हित में हैं। अनुमोदन प्रक्रिया का उद्देश्य पॉलिसीधारकों को अनुचित शर्तों और प्रथाओं से बचाना और बीमा उत्पादों में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देना है।

VI. **बाज़ार आचरण विनियमन (Market Conduct Regulation)**

आईआरडीएआई बीमा कंपनियों और मध्यस्थों के बाजार आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है। जो यह सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता, नैतिक प्रथाओं और निष्पक्ष उपचार दिशानिर्देशों को स्थापित और लागू करता है, कि बीमा उत्पादों और सेवाओं का पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित तरीके से विपणन, बिक्री और सेवा की प्रदान की जाए। आईआरडीएआई पॉलिसीधारकों की शिकायतों और शिकायतों को भी संबोधित करता है और अनुचित या धोखाधड़ी प्रथाओं में संलग्न पाए जाने वाली संस्थाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करता है।

VII. **उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection)**

उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करना आईआरडीएआई की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए नीतियां और उपाय बनाता और लागू करता है। IRDAI पारदर्शिता और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ावा देता है, शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी करता है, और पॉलिसीधारकों और बीमा कंपनियों के बीच विवादों के समाधान के लिए दिशानिर्देश स्थापित करता है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में ग्राहकों के भरोसे और आत्मविश्वास को बढ़ाना है।

VIII. **वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना (Promoting Financial Stability and Risk Management)**

आईआरडीएआई बीमा क्षेत्र के भीतर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। जिसे सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और सॉल्वेंसी आवश्यकताएं(solvency requirements) निर्धारित करता है, कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी और भंडार बनाए रखें। आईआरडीएआई जोखिमों

को कम करने और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए बीमा कंपनियों की निवेश गतिविधियों पर भी नज़र रखता है।

IX. **बीमा क्षेत्र का विकास एवं संवर्धन (Development and Promotion of the Insurance Sector)**

आईआरडीएआई, भारत में बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह विशेष रूप से समाज के वंचित क्षेत्रों और क्षेत्रों में बीमा पैठ(insurance coverage) बढ़ाने के लिए नीतियां और पहल (Policies and Initiatives) तैयार करता है। आईआरडीएआई बीमा उत्पादों की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए उत्पाद डिजाइन(product design), वितरण चैनलों(distribution channels) और प्रौद्योगिकी(Technology) अपनाने में नवाचार(innovation) को प्रोत्साहित करता है। यह बीमा क्षेत्र में ज्ञान-साझाकरण(knowledge-sharing) और क्षमता निर्माण(Capacity building) को बढ़ावा देने के लिए उद्योग हितधारकों(industry stakeholders), अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ भी सहयोग करता है।

X. **पर्यवेक्षण एवं प्रवर्तन(Supervision and Enforcement)**

IRDAI अपने नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण और प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करता है। यह बीमा कंपनियों की वित्तीय सुदृढ़ता, परिचालन दक्षता और नियामक अनुपालन का आकलन करने के लिए निरीक्षण, ऑडिट और जांच करता है। नियामक आवश्यकताओं के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में IRDAI के पास जुर्माना, प्रतिबंध या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।

पर्यवेक्षण विभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व(Functions and Responsibilities of Supervision Department)

I. आईआरडीए को आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) से निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:
जानकारी के लिए कॉल करना
निरीक्षण करना
बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों की ऑडिट सहित पूछताछ और जांच करना।

II. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 प्राधिकरण को किसी भी बीमाकर्ता या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के मामलों की जांच के लिए 'जांच अधिकारी' नियुक्त करने का अधिकार देती है।

जांच अधिकारी धारा 33 के तहत किसी भी जांच में सहायता के उद्देश्य से किसी लेखा परीक्षक या बीमांकिक या दोनों को नियुक्त कर सकता है।

III. पर्यवेक्षण विभाग प्राधिकरण द्वारा जारी विभिन्न नियमों और अन्य निर्देशों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों, बीमा मध्यस्थों और बीमा व्यवसाय से जुड़े अन्य संगठनों का ऑन-साइट निरीक्षण/जांच करता है।

IV. पर्यवेक्षण विभाग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वार्षिक निरीक्षण योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन
- स्थलीय निरीक्षण हेतु टीमों का गठन
- निरीक्षण की जाने वाली इकाई से आवश्यक जानकारी मांगना
- स्थलीय निरीक्षण करना
- विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना
- निरीक्षण रिपोर्टों को निरीक्षण की गई संस्थाओं को उनकी प्रतिक्रिया के लिए अग्रेषित करना
- निरीक्षण विभाग के विश्लेषण के साथ निरीक्षण की गई संस्थाओं से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट और प्रतिक्रिया को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण के 'प्रवर्तन विभाग' को अग्रेषित करना।

प्रवर्तन विभाग(Enforcement Department)

निरीक्षण विभाग लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं का ऑन-साइट निरीक्षण करता है। निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण टिप्पणियों पर निरीक्षण इकाई के उत्तर के साथ नियामक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन विभाग को सौंप दी जाती है। प्रवर्तन विभाग की भूमिका इसी चरण से शुरू होती है। प्रवर्तन विभाग निरीक्षण रिपोर्ट, इकाई की प्रतिक्रिया, रिकॉर्ड पर साक्ष्य आदि का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है और नियामक कार्रवाई को गति देता है। विनियामक कार्रवाई में विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है, जैसे कारण बताओ नोटिस जारी करना आदि, जो उल्लंघनों की गंभीरता पर निर्भर करता है, वित्तीय जुर्माना लगाने या चेतावनी जारी करने या निर्देश जारी करने आदि के अंतिम आदेश जारी करने में समाप्त होता है। अंतिम आदेश की निर्गमन निरीक्षण रिपोर्ट के अंतिम चरण का हिस्सा निष्कर्षतः, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा क्षेत्र के विकास को विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यों और जिम्मेदारियों में लाइसेंसिंग और बीमा का विनियमन शामिल है।

7. आईआरडीएआई का नियामक ढांचा(Regulatory Framework of IRDAI)

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा स्थापित एक अच्छी तरह से परिभाषित नियामक ढांचे के भीतर

काम करता है। यह ढांचा आईआरडीएआई को भारत में बीमा क्षेत्र को विनियमित और पर्यवेक्षण करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है। . यह अनुभाग आईआरडीएआई के नियामक ढांचे के प्रमुख तत्वों की पड़ताल करता है।

I. **IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाएँ -**

i. **जीवन बीमा कंपनियाँ(Life Insurance Companies)** - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियाँ

ii. **सामान्य बीमा कंपनियाँ(General Insurance Companies)** - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियाँ। उनमें से, कुछ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करती हैं।

iii. **पुनर्बीमा कंपनियाँ(Re-Insurance Companies)**

iv. **एजेंसी चैनल(Agency Channel)**

v. **बिचौलियों (Intermediaries)** - जिसमें कॉर्पोरेट एजेंट, दलाल, तीसरे पक्ष के प्रशासक(Third Party Administrators), सर्वेक्षक और हानि मूल्यांकनकर्ता शामिल हैं।

II. **लाइसेंसिंग और पंजीकरण(Licensing and Registration)**

आईआरडीएआई एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय बाजार में बीमा कंपनियों के प्रवेश को नियंत्रित करता है। सभी संस्थाओं के लिए किसी भी बीमा व्यवसाय को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। बीमा कंपनियों को परिचालन शुरू करने से पहले IRDAI से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में कंपनी की वित्तीय ताकत, व्यवसाय योजना, प्रबंधन क्षमताओं और नियामक आवश्यकताओं के पालन का गहन मूल्यांकन शामिल है। IRDAI यह सुनिश्चित करता है कि केवल वित्तीय रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित संस्थाओं को ही बीमा क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस दिया जाए।

III. **शोधनक्षमता आवश्यकताएँ(Solvency Requirements)**

बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरडीएआई शोधन आवश्यकताओं को निर्धारित करता है जिन्हें बीमा कंपनियों को पूरा करना होता है। शोधनक्षमता अनुपात से पता चलता है कि बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति कितनी अच्छी या बुरी है। इससे पता चलता है कि बीमाकर्ता दावों का निपटान करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत है या नहीं।

IRDAI के निर्देशानुसार बीमा कंपनियों को दिवालियापन के जोखिमों से दूर रहने के लिए 150% का सॉल्वेंसी अनुपात बनाए रखना होगा। ये आवश्यकताएं बीमा कंपनियायों को बाध्य

करती हैं कि वे अपनी बीमा देनदारियों के सापेक्ष पूंजी और संचित कोष का एक निश्चित स्तर बनाए रखें।

भारत में जीवन बीमा कंपनियों का शोधनक्षमता अनुपात

(Solvency ratio of life insurance companies in India)

S.N.	Name of Insurance Company	Solvency Ratio		
		2020	2021	2022
1	Aditya Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.	1.9	1.8	1.9
2	Aegon Life Insurance Co. Ltd.	2.4	2.6	3
3	Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.	2.9	3.4	3.1
4	Aviva Life Insurance Co. Ltd.	7.7	2.4	2.1
5	Bajaj Allianz Life Insurance Co. Ltd.	1.8	7.2	6.1
6	Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd.	3.8	1.8	1.7
7	Canara HSBC OBC Life Insurance Co. Ltd.	2.2	3.2	2.8
8	Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd.	1.9	2.2	2
9	Exide Life Insurance Co. Ltd.	1.6	2.2	2.1
10	Future Generali Life Insurance Co. Ltd.	1.9	1.7	1.7
11	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	2.1	2	1.9
12	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	3.2	2.1	2
13	IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.	1.8	1.8	1.7
14	Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	3	3	2.6
15	Max Life Insurance Co. Ltd.	2.2	2.1	2
16	PNB MetLife India Insurance Co. Ltd.	2	2	1.9
17	Pramerica Life Insurance Co. Ltd.	3.5	4.2	4
18	Reliance Nippon Life Insurance Co. Ltd.	2.4	2.3	2.3
19	Sahara India Life Insurance Co. Ltd.	8.3	9.1	8.8
20	SBI Life Insurance Co. Ltd.	2.2	2.3	2.1
21	Shriram Life Insurance Co. Ltd.	1.9	2	2.2
22	Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.	2.6	2.3	1.9
23	TATA AIA Life Insurance Co. Ltd.	2	2.1	1.9
24	Life Insurance Corporation of India	1.6	1.8	1.8
Source: https://www.policyx.com/data-lab/solvency-ratio.php				

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है के जीवन बीमा कम्पनीयों ने आईआरडीएआई की शोधनक्षमता आवश्यकताओं वाली शर्त का पालन किया है । शोधन आवश्यकताओं को लागू करके, IRDAI का लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है, कि बीमा कंपनियां अपने दायित्वों को पूरा कर सकें।

IV. निवेश विनियम(Investment Regulations)

आईआरडीएआई बीमा कंपनियों की निवेश गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश और नियम स्थापित करता है। ये नियम परिसंपत्तियों के प्रकार को परिभाषित करते हैं, जिनमें बीमा कंपनियां निवेश कर सकती हैं, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश की सीमाएं और निवेश

विविधीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित है। निवेश नियमों का उद्देश्य पॉलिसीधारकों के धन की सुरक्षा और तरलता सुनिश्चित करते हुए बीमा कंपनियों को अपने निवेश पर रिटर्न उत्पन्न करने की आवश्यकता को संतुलित करना है। **उत्पाद मंजूरी और नियामक व्यवस्था(Product Approval and Regulation)**

आईआरडीएआई बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली बीमा उत्पादों को नियामित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमा उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाने से पहले, उसे आईआरडीएआई की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। आईआरडीएआई उत्पाद की शर्तों, लाभों, मूल्य निर्धारण और उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है ताकि यह बीमा धारकों के लिए न्यायसंगत और लाभदायक हो। उत्पाद मंजूरी प्रक्रिया में उत्पाद की नियमिता, विधि संबंधी दिशानिर्देश, और उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधानों का समीक्षण शामिल होता है।

V. **बाजार आचरण नियामकता(Market Conduct Regulation)**

आईआरडीएआई बीमा कंपनियों और मध्यस्थों(intermediaries) के बाजार आचरण को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश और विनियमों को निर्धारित करता है। इन विनियमों का उद्देश्य बीमा धारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, उत्पाद जानकारी में पारदर्शिता, और नैतिक बिक्री प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। आईआरडीएआई बीमा एजेंटों, ब्रोकरों, और अन्य मध्यस्थों के लिए आचार आचार संहिता स्थापित करता है।, ताकि उच्च पेशेवर मानकों का पालन किया जाए और बीमा धारकों के हितों की सुरक्षा की जाए। बाजार आचरण नियमों में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र और विवादों के समाधान की आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

VI. **वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रगटन(Financial Reporting and Disclosure)**

बीमा कंपनियों को आईआरडीएआई को समय-समय पर वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन और जोखिम जोखिम का व्यापक अवलोकन प्रदान किया जाता है। आईआरडीएआई बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करने और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए इन रिपोर्टों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई यह सुनिश्चित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है कि बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को पॉलिसी के नियम और शर्तें, प्रीमियम गणना और दावा निपटान प्रक्रियाओं जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती हैं।

VII. **उपभोक्ता संरक्षण उपाय(Consumer Protection Measures)**

आईआरडीएआई उपभोक्ता संरक्षण पर महत्वपूर्ण जोर देता है और पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय लागू करता है। इसमें पॉलिसीधारकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने के लिए एकीकृत शिकायत प्रबंधन

प्रणाली (आईजीएमएस) जैसे शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल है। आईआरडीएआई उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और पहल भी आयोजित करता है।

STATUS OF GRIEVANCES – AS PER Integrated Grievance Management System (IGMS)

Life Insurers

STATUS OF GRIEVANCES - LIFE INSURERS DURING 2019-20				
Insurer	Outstanding as on 1st April, 2019	Grievances Reported during 2019-20	Grievances Resolved during 2019-20	Outstanding as on 31st March, 2020
LIC	0	112005	109153	2852
PRIVATE	84	53212	53272	24
TOTAL	84	165217	162425	2876
https://irdai.gov.in/consumer-affairs-booklet1				

उपरोक्त तालिका के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों ने 2019-20 के दौरान 98.26 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने दर्ज की गई 99.95 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया, जबकि एलआईसी ने 97.45 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया।

VIII. प्रवर्तन और अनुशासनात्मक कार्रवाई(Enforcement and Disciplinary Actions)

आईआरडीएआई के पास अपने नियमों के अनुपालन को लागू करने और नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाली बीमा कंपनियों और मध्यस्थों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। IRDAI की प्रवर्तन शक्तियों में जुर्माना लगाना, जुर्माना लगाना शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईआरडीएआई द्वारा की गई विशिष्ट प्रवर्तन और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर मामले दर मामले भिन्न हो सकती हैं। नियामक का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए बीमा क्षेत्र की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखना है।

8. आईआरडीएआई द्वारा पहल और नवाचार(Initiatives and Innovations by IRDAI)

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत में बीमा क्षेत्र की वृद्धि, दक्षता और पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल शुरू करने और नवाचारों को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। यह खंड आईआरडीएआई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों और नवाचारों पर प्रकाश डालता है।

I. डिजिटलीकरण और बीमा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना(Promoting Digitalization and insurance technology):

आईआरडीएआई डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और बीमा उद्योग में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने में सबसे आगे रहा है। इसने ई-बीमा पॉलिसी जारी करने, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी सत्यापन और ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान जैसी पहल शुरू की है। IRDAI ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, संचालन को सुव्यवस्थित करने और बीमा प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स और स्वचालित अंडरराइटिंग प्रक्रियाओं सहित इंश्योरटेक (बीमा प्रौद्योगिकी) समाधानों को अपनाने को भी प्रोत्साहित किया है।

II. सूक्ष्म बीमा और वित्तीय समावेशन(Micro insurance and Financial Inclusion):

वित्तीय समावेशन के महत्व को पहचानते हुए, आईआरडीएआई ने सूक्ष्म बीमा उत्पादों और पहलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसने बीमा कंपनियों को ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में व्यक्तियों को किफायती और सुलभ बीमा उत्पाद पेश करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। आईआरडीएआई ने वित्तीय रूप से बहिष्कृत आबादी तक पहुंचने और उन्हें बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक वितरण चैनलों, जैसे व्यापार संवाददाताओं और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया है।

III. स्वास्थ्य बीमा पहल(Health Insurance Initiatives):

स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत और पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज की आवश्यकता को देखते हुए, आईआरडीएआई ने भारत में स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इसने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को मानकीकृत किया है, जिससे बीमाकर्ताओं के बीच कवरेज और लाभों में एकरूपता सुनिश्चित होती है। आईआरडीएआई ने व्यक्तियों और परिवारों की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोग-विशिष्ट नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों जैसे नवीन स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विकास को भी प्रोत्साहित किया है।

IV. नवप्रवर्तन सैंडबॉक्स(Innovation Sandbox): बीमा क्षेत्र में नवाचार और प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आईआरडीएआई ने एक इनोवेशन सैंडबॉक्स स्थापित किया है। सैंडबॉक्स एक नियामक ढांचा प्रदान करता है जो बीमा कंपनियों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी फर्मों को नियंत्रित वातावरण में नवीन उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण और लॉन्च करने की अनुमति देता है। यह प्रतिभागियों को

सहयोग करने, उनके विचारों को मान्य करने और नए बीमा समाधानों की व्यवहार्यता का आकलन करने, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक बीमा उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

V. **उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा(Consumer Awareness and Education):**

आईआरडीएआई पॉलिसीधारकों को सशक्त बनाने और सूचित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता और शिक्षा पर महत्वपूर्ण जोर देता है। यह जागरूकता अभियान चलाता है, शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करता है, और उपभोक्ताओं को बीमा उत्पादों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑनलाइन संसाधन प्रदान करता है। आईआरडीएआई द्वारा बीमा संबंधित डेटा का भंडारण करने और उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला बीमा सूचना ब्यूरो (IIB) भी संचालित किया जाता है।

VI. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग(International Collaborations):**

आईआरडीएआई ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी में प्रयासरत है। यह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) जैसे मंचों में भाग लेता है, और सूचनाओं के आदान-प्रदान, नियामक क्षमताओं को बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने के लिए अन्य देशों के नियामक निकायों के साथ सहयोग करता है। डिजिटलीकरण, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नवाचार सैंडबॉक्स, हरित पहल, उपभोक्ता जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपने फोकस के माध्यम से, आईआरडीएआई ने भारत में बीमा परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9. **बीमा उद्योग के विकास पर आईआरडीएआई का प्रभाव(9. Impact of IRDAI on the Development of Insurance Industry):** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का अपनी स्थापना के बाद से भारत में बीमा क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसके नियामक निरीक्षण, पहल और सुधारों ने बीमा उद्योग को बदल दिया है और विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित किया है। कुछ प्रमुख प्रभावों की रूपरेखा नीचे दी गई है:

I. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा**(Increased Competition):**

आईआरडीएआई की पहल ने बीमा क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। आईआरडीएआई के नियामक ढांचे ने बीमा क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की है। नए खिलाड़ियों को बाज़ार में प्रवेश करने की अनुमति देने और इनोवेशन सैंडबॉक्स के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने से बीमा कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, परिणाम स्वरुप उत्पाद नवाचार, बेहतर सेवा गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में वृधी हुई है। आईआरडीएआई ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जो प्रतिस्पर्धात्मकता को

बढ़ावा देता है और बीमाकर्ताओं को बेहतर उत्पाद, सेवाएँ और ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।

II. **नियामक ढांचे को मजबूत करना(Strengthening Regulatory Framework):** आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत किया है। दिशानिर्देशों, विनियमों और मानकों को स्थापित और लागू करके, आईआरडीएआई ने यह सुनिश्चित किया है, कि बीमा कंपनियां पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से काम करें। आईआरडीएआई द्वारा कार्यान्वित लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया है, कि केवल वित्तीय रूप से मजबूत और प्रतिष्ठित संस्थाएं ही बाजार में प्रवेश करें, जिससे बाजार की अखंडता और स्थिरता में वृद्धि हुई है।

III. **बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता(Improved Governance and Transparency):** आईआरडीएआई ने बीमा क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शासन और नियामक तंत्र स्थापित किया है। इसने बीमा कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के लिए दिशानिर्देश लागू किए हैं। इन उपायों से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, सुशासन को बढ़ावा मिला है और धोखाधड़ी तथा कदाचार का जोखिम कम हुआ है।

IV. **बाज़ार का विकास(Market Growth):** IRDAI की नीतियों और नियामक उपायों ने बीमा उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीमा पैठ(Insurance Penetration) और बीमा घनत्व (Insurance Density) दो जो प्रमुख संकेतक हैं, जो किसी अर्थव्यवस्था में बीमा एकाग्रता की सही तस्वीर दिखाते हैं।

जीवन बीमा पहुंच (Insurance Penetration): बीमा पहुंच सकल घरेलू उत्पाद के प्रीमियम का प्रतिशत है। लंबे इतिहास वाला भारतीय जीवन बीमा उद्योग अभी भी लोगों के बीच बीमा की पहुंच बनाने में पीछे है।

Insurance Penetration in Pre and Post Establishment of IRDA Period

Years	Penetration (in %)	Years	Penetration (in %)
1985	0.6	2002	2.2
1986	0.7	2003	2.4
1987	0.6	2004	2.6
1988	0.7	2005	2.9

1989	0.8	2006	3.6
1990	0.9	2007	4.0
1991	1.0	2008	3.9
1992	1.0	2009	4.1
1993	1.0	2010	3.7
1994	1.0	2011	3.3
1995	1.1	2012	2.9
1996	1.1	2013	2.8
1997	1.2	2014	2.6
1998	1.2	2015	2.6
1999	1.3	2016	2.8
2000	1.5	2017	2.8

आईआरडीए की स्थापना से पहले बीमा की पहुंच बहुत कम थी। 1985 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.6% था। देश को 1.5% तक पहुंचने में लगभग 15 साल लग गए, जो कि विकसित देशों से काफी नीचे होने का अनुमान है। प्रवेश के मामले में भारतीय जीवन बीमा क्षेत्र 2000 में दुनिया में 52वें स्थान पर था। इस अवधि के दौरान क्षेत्र के क्रमिक विकास ने प्रवेश स्तर को बढ़ा दिया है। हालांकि आईआरडीए के प्रारंभिक वर्षों में, प्रवेश का स्तर औसतन 1% रहा, जबकि सुधार प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2009 में बीमा प्रवेश 4.1% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस अवधी में बीमा पहुंच में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि ने वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करके अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान दिया है।

बीमा घनत्व (Insurance Density): बीमा घनत्व किसी अर्थव्यवस्था में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख उपाय है। यह बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए प्रीमियम का देश की जनसंख्या से अनुपात है। बीमा सघनता, बीमा पैठ के साथ, किसी देश के आम तौर पर डॉलर के संदर्भ में व्यक्त, प्रति व्यक्ति प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। 2021 में जीवन बीमा के लिए भारत का बीमा घनत्व $69 था। यहाँ **बीमा घनत्व** को आईआरडीए की स्थापना से पहले से और आईआरडीए की स्थापना के पश्चात् अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में दर्शाते हुए में वर्गीकृत किया गया है।

Insurance Density in Pre and Post Liberalization Period

Years	Density (in USD)	Years	Density (in USD)
1985	2	2002	11
1986	2	2003	13
1987	3	2004	16
1988	3	2005	21
1989	3	2006	30
1990	4	2007	42
1991	3	2008	40
1992	3	2009	46
1993	3	2010	52
1994	4	2011	48
1995	4	2012	42
1996	5	2013	41
1997	5	2014	41
1998	5	2015	43
1999	6	2016	47
2000	7	2017	55

1985 की तुलना में भारत में जीवन बीमा घनत्व 2017 में 26.5 गुना अधिक है। लेकिन अगर विश्व औसत से तुलना की जाए तो भारतीय घनत्व 8.1 गुना कम और अमेरिका के प्रति व्यक्ति

प्रीमियम से 40 गुना कम है। उपरोक्त तालिका में विश्लेषण से पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जीवन बीमा घनत्व में सुधार हुआ है। आईआरडीए की स्थापना से पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना से यह स्पष्ट है कि आईआरडीए की स्थापना से पहले जीवन बीमा घनत्व बाद के वर्षों में अधिक है।

V. **नवाचार और उत्पाद विकास (उत्पाद विविधीकरण) को बढ़ावा देना(Driving Innovation and Product Development (Product Diversification)):**

आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को विभिन्न ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप), स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां और अनुकूलित कवरेज विकल्प जैसे नवीन बीमा उत्पादों की शुरुआत हुई है। उत्पादों के विविधीकरण ने नए ग्राहकों को आकर्षित किया है और समग्र बाजार आकार का विस्तार किया है।आईआरडीएआई द्वारा इनोवेशन सैंडबॉक्स और अन्य पहलों की शुरूआत ने बीमा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। बीमाकर्ता और स्टार्ट-अप ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नए और अभिनव बीमा उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण और लॉन्च करने में सक्षम हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला और अधिक अनुरूप पेशकशें सामने आई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और बेहतर कवरेज प्रदान किया गया है।

VI. **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना(Ensuring Financial Stability):**

सॉल्वेंसी आवश्यकताओं और निवेश नियमों सहित आईआरडीएआई के विवेकपूर्ण नियमों ने बीमा क्षेत्र के भीतर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सुनिश्चित करके कि बीमा कंपनियां पर्याप्त पूंजी और भंडार बनाए रखती हैं और विवेकपूर्ण निवेश प्रथाओं का पालन करती हैं, आईआरडीएआई ने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा की है और बीमा क्षेत्र की स्थिरता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

10. **निष्कर्ष(Conclusion):** भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने भारत में बीमा क्षेत्र के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी स्थापना के बाद से, आईआरडीएआई ने उद्योग की वृद्धि, दक्षता और समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने नियामक ढांचे के माध्यम से, आईआरडीएआई ने दिशानिर्देश और मानक स्थापित किए हैं, जो बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। जिससे उपभोक्ता के हितों की रक्षा हुई है, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, और बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है। आईआरडीएआई की पहल और नवाचारों का बीमा क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। डिजिटलीकरण और इंश्योरटेक को बढ़ावा देने से बीमा सेवाएं प्रदान करने के तरीके में क्रांति आ गई है, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो गई हैं। सूक्ष्म बीमा और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने से वंचित आबादी तक

बीमा कवरेज का विस्तार हुआ है, जिससे वे वित्तीय सुरक्षा के साथ सशक्त हुए हैं। इनोवेशन सैंडबॉक्स की स्थापना ने उद्योग के भीतर रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए नवाचार और उत्पाद विकास को प्रोत्साहित किया है। उपलब्धियों के बावजूद, आईआरडीएआई के लिए चुनौतियाँ बनी हुई हैं। तकनीकी व्यवधान, साइबर सुरक्षा खतरे, वित्तीय स्थिरता, बीमा पैठ, नियामक जटिलताएं, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए आईआरडीएआई को निरंतर ध्यान देने और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ(References):

- Vibha Johia "IMPACT OF LIBERALIZATION ON THE LIFE INSURANCE SECTOR IN INDIA"
- Insurance Regulatory and Development Authority of India. (2021). Retrieved from https://www.irdai.gov.in/irdaifaq/index.html
- International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS) 48
- Mukherjee, S. K. (2018). Insurance in India: History, Reforms, and Challenges. Springer.
- Murugan, S., & Ramachandran, K. (2016). Performance of Indian Insurance Industry: A Comparative Study. Journal of Insurance and Financial Management,
- www.irdai.gov.in
- HANDBOOK ON INDIAN INSURANCE STATISTICS 2019-20
- https://irdai.gov.in/consumer-affairs-booklet1
- https://irdai.gov.in/handbook-of-indian-insurance
- https://news.cleartax.in/economic-survey-2022-23-india-on-track-for-fastest-growing-insurance-market/8938/

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM